

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संध अनियान 2021

प्रथम पत्र संख्या 149  
21

सरकार बनाम कैलाश दया

अन्तर्गत धारा 131, 132 एलओ आरओ एक्ट 1966

2021  
461

निर्णय दिनांक 22/12/21

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूँ एवं उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा प्रशासन मॉर्के के संग अनियान 2021 के कैम्प आफीकला में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम आफीकला तहसील चौमूँ के निम्नांकित प्रकरण में मौला निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में लाल स्याई से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आन रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज० मू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है। रिपोर्ट तहसीलदार चौमूँ उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ एवं संयुक्त ग्राम पंचायत आफीकला के अवलोकन से मौके पर स्याई रूप से आन रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्रथम पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज० मू-राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 131 व 132 राज० मू-राजस्व (मू-अभिलेख) नियम 1967 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प३(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (नूतनांक एनक्टर-1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार कित्त नैनू रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न


नक्सा ट्रेस के अनुसार गैरमू रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं।

क्र०सं०	नाम राजस्व ग्राम	खं.न.	कुल रकबा (हेक्टर में)	कित्त	रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में)	विधि
1.	आफीकला	2249	1.71	घा 3	380	
2.		2252	1.63	घा 3	370	

उक्तानुसार निजी खातेदारी में चालू स्याई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शों में व जनाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित गैरमू रास्ता दर्ज किया जावेगा।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हेतु तहसीलदार चौमूँ को आदेश जारी हो। फावेली निर्णय शुमार होकर बाद तकनील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/12/21 को कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

  
कैलाश दया

कैम्प प्रभारी अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
चौमूँ (जयपुर)